

बिहार लोक सेवा आयोग

15. जगहाहरलाल नेहरू मार्ग (बेटी रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.- 02/2019. भवन निर्माण विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियंता (विद्युत) के कुल 33 (तीनीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुधोम्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित हैं, इन रिक्त पदों की कोटियार विवरणी निम्नलिखित हैं :–

क्र. सं.	कोटि	अनुगम्य पदों की कुल संख्या	35% धौतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	गैर आरक्षित वर्ग	15	05
2.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	03	01
3.	अनुसूचित जाति	04	02
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	05	01
6.	पिछड़ा वर्ग	04	02
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	01	00
	कुल	33	11

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के लेस स्वतंत्रता संनामियों जिन्हें केवल द्वारा पंशुन स्थीकृत है, के पांता/पांती/नानी/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	01
----	---	----

3.	विकलांगता अधिनियम-1995 के आलोक में नियामितता से ग्रहत उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या	01
(i)	दृष्टि विधित (VI)	01
(ii)	मूक विधिर (DD)	01
(iii)	आर्थिक विकलांग (OII)	00
(iv)	मर्दाविकार	00

2. वेतनमान:- Level-09 (पौरी 10-2-घंड 5400/-)

3. शैक्षणिक योग्यता :-

(i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी अध्यात्म

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिस्ट-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थि शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशास्या—“अ” और “आ” में उत्तीर्ण होगा होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्तीकृत संस्थान से प्रशास्या—“अ” और “आ” के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी 1:-

(1) जो व्यक्ति अरथात् या रथानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में राम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा—

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य संबंधी के सदरस्य प्रो-नन्ति द्वारा या रथानांतरण द्वारा इस नियमावली के साथ—||। ऐसे नियमावली के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे : (दिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग—||। भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है)।

4. उम्र सीमा — दिनांक- 01.08.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला— 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)— 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में उम्र सीमा में नियमानुसार छुट अनुमान्य होगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन घरों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छुट अनुमान्य है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट अनुमान्य है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में भूतार्थ रैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीनी) वर्ष तथा प्रतिक्रिया सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के बोग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. चयन प्रक्रिया:-

(क) विद्युतित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुधोम्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लियें परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 15838 दिनांक- 22.12.1990 एवं पत्रांक 6706 दिनांक- 01.10.2008 द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छाँस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों को ही आयोग के विनियोगानुसार साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

6. लिखित परीक्षा छ: पत्रों की होगी, जिनमें 04 पत्र अनिवार्य और 02 पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 04 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वर्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। दो ऐच्छिक पत्र वर्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होंगे जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग-अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र मात्र Qualifying होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कल अंक नियमांकित होंगे। अनिवार्य पत्र

पत्र सं.	विषय	परीक्षा की प्रक्रिया	अवधि	कुल अंक
1.	सामान्य अंग्रेजी	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
2.	सामान्य हिन्दी	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
3.	सामान्य अध्ययन	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
4.	सामान्य अभियंत्रण विज्ञान	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100

(ख) ऐच्छिक पत्र

5.	विद्युत अभियंत्रण	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100
6.	विद्युत अभियंत्रण	वर्तुनिष्ठ (Objective)	एक घंटा	100

नोट:- विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

7. आरक्षण—

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका रथायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अध्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया रथायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए रथायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) रथायी निवास/मूल निवास (डोमेसिल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिकार अचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिकार अचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमेस्टिक) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मात्र होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पिता के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में रात्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरने समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में विवाहितों को रिक्ति की उपलब्धता की रिथिति में नियमानुसार 4% क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की रिथिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता और रिथिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के दैसे रक्ततंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेशन रखीकृत है, कें पोता/पोती/नाती/नन्तीनी को रिक्ति की उपलब्धता की रिथिति में नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीयों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूपूर्व रक्ततंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नन्तीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की रिथिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के दौरान आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

8. शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी राष्ट्रीय (आरक्षित/अन्नारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न दैज़ियों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा खत: बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया

जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का सदैह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	19.03.2019 से 02.04.2019 तक
2.	ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि	05.04.2019 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	10.04.2019, तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोर्ट/निश्चित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	22.04.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट-1: जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर्जों के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

नोट-2: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक- 05.04.2019 तक लिंक उपलब्ध रूप से भुगतान कर लें।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भौति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुरक्षित अकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षराशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को भूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (iii) उम्मीदवार डेश बोर्ड पर अकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

- (iv) ऑनलाइन आवेदन में अकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाल क्राक्षण तक सुरक्षित रखेंगे।

- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से अन्नारक्षित रखा जाया है।

- (vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर रखें कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अंतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

- (ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful

Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

10. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉफी में निर्धारित रथान पर नीले रसायी से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉफी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक-22.04.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉफी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रापणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगे:-
 (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 (b) विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र;
 (c) उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं आवारण प्रमाण-पत्र;
 (d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/राज्य की रसायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए;
 (e) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की रवानभिप्राप्ति;
 (f) दिव्यांगता का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रगाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
 (g) रवात्रता का दावा करने की रिधति में संक्षम प्रदिक्कार द्वारा निर्गत तत्त्वांकी प्रमाण-पत्र की रवानभिप्राप्ति;
 (h) आयु में छुट का दावा करने की रिधति में अन्यर्थी संक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

आवेदक उपर्युक्त सभी वर्षित प्रमाण-पत्रों की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रापणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉफी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा रालग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

- आवेदक उपर्युक्त सभी वर्षित प्रमाण-पत्रों की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रापणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉफी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा रालग्न नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में रामिलित किया जाएगा।
- यदि किसी भी अन्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉफी एवं रामी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कागजालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अन्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में रामिलित किया जाएगा।
- यदि किसी भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉफी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉफी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्षित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉफी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉफी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अन्यर्थियों की अहता के संबंध में नियंत्रण लेने हेतु आयोग रवतंत्र रहेगा।
- योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने गूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
- आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वर्षित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पारा आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

- इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉफी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
- इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- उपर्युक्त विज्ञापन रो संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन रो अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्तालिखित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।


8.3.15

संयुक्त संघीय-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।